


कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./स्टे.आयु./अधि.प्रत्या/एफ- /2021/278
//आदेश//

भिलाई, दिनांक 4/2/2021

पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 2902 भिलाई दिनांक 09.08.2019 के अनुसार छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69 (क) का उपयोग करते हुये अधिनियम की धारा 293, 294, 295, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 307, 372, 309, 310, 434 के अंतर्गत आयुक्त की शक्तियां भूमि विकास अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत 200 वर्गमीटर तक के समस्त आवासीय भूमि पर भवन अनुज्ञा/भवन पूर्णता प्रमाण पत्र/विद्युत अनापत्ति जारी करने तथा अनाधिकृत विकास के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु आयुक्त की शक्तियां जोन आयुक्तों को प्रत्योजित की गई थी।

उक्त आदेश में अंशिक संशोधन करते हुए आवासीय, व्यवसायिक, आवास सह व्यवसायिक भूखण्डों के भवन अनुज्ञा/भवन पूर्णता संबंधी प्रकरण, भवन अनुज्ञा शाखा मुख्य कार्यालय में जमा किए जावेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



ऋतुराज रघुवंशी
(IAS)

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

क्र./स्टे.आयु./अधि.प्रत्या/एफ- /2021/279
प्रतिलिपि:-

भिलाई, दिनांक 24/2/2021

1. संचालक, संचालनालय, नगरीय नियोजन विभाग, छ.ग. रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता परियोजना/जलकार्य, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन कं. 1,2,3,4, एवं 5 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. मेसर्स आर्यन्स इन्ड्रस्ट्रीज प्रा0 लि0, पुणे को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।
8. श्री नितेश शर्मा, टीम लीडर, बीपीएमएस,सूडा, अटल नगर, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन कराने हेतु
9. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।
10. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं संबंधित की व्यक्तिगत नस्ती एवं आदेश फाईल में रखे जाने हेतु अतिरिक्त प्रति के साथ।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई